

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 8 SS/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(80)-2012

लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 से, सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

रजि. कामि (विधि)संशोधन


कामिशनर
~~कामिशनर~~

31.08.2012

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 7 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

2 P. (Vidha)
Ch
Addn. Circulate
31/08/12


31/8/12

2371